भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4326
उत्तर दिनांक 02/04/2026 को दिया गया

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का प्रभाव

4326. श्री संदोष कुमार पी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है;

(ख) भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से मिली छूट के बाद अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों ने भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में किस हद तक योगदान दिया है;

(घ) क्या ऐसे समझौतें के तहत भारत में कोई विदेशी परमाणु रिएक्टर चालू किए गए हैं या निर्माणाधीन हैं;

(ङ) क्या परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दों सहित किसी बाधा के कारण ऐसे समझौतों का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है; और

(च) ऐसे समझौतों का भारत की वैश्विक स्थिति पर समग्र रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य नाभिकीय समझौते और बाद के नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने आईएईए संरक्षोपायों के तहत रिएक्टरों में उपयोग के लिए ईंधन के आयात और विदेशी सहयोग के साथ नए नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना को सक्षम बनाया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में आईएईए संरक्षोपायों के तहत 6380 मेगावाट की क्षमता वाले सोलह रिएक्टर (आरएपीएस-1, 100 मेगावाट को छोड़कर) आयातित ईंधन से प्रचालित किए जा रहे हैं। इसके कारण नाभिकीय विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिए गए (ग) के उत्तर में दर्शाया गया है।

(ख) भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग सहित नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए प्रमुख साझेदार देशों के साथ कई अंतर-सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) एनएसजी छूट के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों के निष्पादन से कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन जो वर्ष 2007-08 में 16956 मिलियन यूनिट था, वर्ष 2024-25 में 56681 मिलियन यूनिट हो गया है। नाभिकीय विद्युत क्षमता वर्ष 2007-08 में 4020 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर वर्तमान में 8780 मेगावाट हो गई है।

(घ) रूसी परिसंघ के सहयोग से स्थापित किए जा रहे चार रिएक्टर, केकेएनपीपी 3 व 4 (2 X 1000 मेगावाट) और केकेएनपीपी 5 व 6 (2 X 1000 मेगावाट) वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

(ङ) व (च) भारत ने नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम वर्ष 2010 में अधिनियमित किया जिसमें नाभिकीय घटना / दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे देने का प्रावधान है। तथापि सीएलएनडी अधिनियम में कुछ प्रावधान जैसे कि आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध निवारण का अधिकार [धारा 17 (बी)] और प्रचलित अन्य विधियों का प्रभाव [धारा 46] अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दायित्व ढांचे के अनुरूप नहीं थे। इन धाराओं के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भारत को नाभिकीय रिएक्टरों की आपूर्ति करने में आशंकाएं रही हैं। नाभिकीय दायित्व से संबंधित मुद्दों के कारण महाराष्ट्र में जैतापुर और आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा में नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वाणिज्यिक समझौते करने में विलंब हुआ, जिन्हें क्रमशः फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाना था। शांति अधिनियम के अधिनियमन के साथ, नागरिक दायित्व के प्रावधान अब अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ढांचे के अनुरूप कर दिए गए हैं। शांति अधिनियम के अधिनियमन के साथ, इन मुद्दों के समाधान की अपेक्षा है।

*****